न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2023/55 दर्ज तिथिः– 06.04.2023

1. राकेश कुमार पुत्र सरदारा राम जाति धानका निवासी ग्राम पोस्ट ठाठवाडी तहसील खेतडी जिला झुन्झूनू राज0

.... प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0
2. देवीसहाय पुत्र रामस्वरूप
3. महेश पुत्र रामस्वरूप
4. विनोद पुत्र रामस्वरूप
5. हेमन्त पुत्र सोहन

समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम जोधावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 .....अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता–श्री नरेश शर्मा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री मनीष जैन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–ःनिर्णयः–

दिनांक 03.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 48/1.01 है0 वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर का खातेदार अभिधारी है। उक्त आराजी पर कृषि काश्त के लिए पहुँच मार्ग के रूप में करीब 10 फीट चौड़ाई का मौके पर चालू रास्ता हाल खसरा संख्या 491 के उत्तरी पश्चिमी कौने से पश्चिम–पूर्व लम्बाई में उत्तरी डोल के सहारे–सहारे एवं खसरा संख्या 494 की उत्तरी डोल के सहारे–सहारे वर्तमान में आमदरफत करता है। चूंकि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है तथा चौड़ाई में सकड़ा है। अतः रास्ते को करीब 40 फीट चौड़ाई में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना प्रार्थी की आराजी तक पहुॅच हेतु अत्यन्त आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी ने उक्त रास्ता को 10 फुट के स्थान पर 40 फीट चौड़ाई का नवीन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.11 10:47:08 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी तक पहुॅच हेतु अनेक रास्ते मौजूद है। आराजी हाल खसरा संख्या 517, 482 गैर मुमकिन सड़क, 464 गैर मुमकिन पहाड़, 589 / 465 प्रहलाद पुत्र प्रभू की खातेदारी आराजी से होकर एक रास्ता चालू है। इस प्रकार प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता नही है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते से होकर प्रार्थी ने कभी आमद रफद नही की है। इसी प्रकार आराजी हाल खसरा संख्या 494 चारागाह प्रतिबंधित भूमि होने के कारण रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता लघुतम रास्ता नही होकर अन्य मौके पर चालू रास्तो से लघुतम मार्ग मौके पर चालू है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आत्यान्तिक आवश्यकता नही होने व वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के आधार पर खारीज किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में मौका कमिश्नर भू—अभिलेख निरीक्षक थानागाजी ने दिनांक 12.04.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।

4. प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए हाल खसरा संख्या 491 के उत्तरी पश्चिमी कौने से पश्चिम—पूर्व लम्बाई में उत्तरी डोल के सहारे—सहारे एवं अप्रार्थी की खातेदारी आराजी 492 की उत्तरी डोल के सहारे—सहारे तथा खसरा संख्या 494 की उत्तरी डोल के सहारे—सहारे 40 फीट चौडाई का नवीन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंचने हेतु एक अन्य मौके पर चालू आम रास्ते का विकल्प बताते हुये तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को छोड़ते हुए रास्ता मौके पर चालू होने के कारण आत्यान्तिक आवश्यकता नही होने व वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है—

> ***धारा 251—क— अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना***—*(1) जहॉ*
> *(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या*
> *(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है—*
> *और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.11 10:47:08 IST
Reason: SelfAttested

को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि—
(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो ***लघुत्तम या निकटतम रूट*** *से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।*

(1) जहॉ—उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry as he may consider necessary, if satisfied that-*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.11 10:47:08 IST
Reason: SelfAttested

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. *खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी को नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.11 10:47:08 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा उभय अभिभाषकगणों तथा उभय पक्षकारान की पूर्व सूचित उपस्थिति में मौका देखा गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 12.04.2023 के बिन्दू संख्या–02 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। साथ ही स्वयं पीठासीन अधिकारी के द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहुॅचने हेतु रिकॉर्ड में दर्ज पहुॅच रास्ता उपलब्ध नही है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा वैकल्पिक रास्ते के बारे में बताया गया। परन्तु अप्रार्थी द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते प्रतिबंधित भूमि किस्मों से होकर मौके पर चालू है। जिनका राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबंधित भूमि किस्म होने के कारण अंकन नही किया जा सकता है। साथ ही उक्त वैकल्पिक रास्ते लघुतम मार्ग प्रतीत नही होते है। इस प्रकार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात इस बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में दौराने मौका निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी द्वारा वैकल्पिक रास्ते के बारे में बताया गया। परन्तु अप्रार्थी द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते प्रतिबंधित भूमि किस्मों से होकर मौके पर चालू है। जिनका राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबंधित भूमि किस्म होने के कारण अंकन नही किया जा सकता है। साथ ही उक्त वैकल्पिक रास्ते लघुतम मार्ग प्रतीत नही होते है। प्रकरण में दौराने मौका निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी की खातेदारी आराजी को छोड़ते हुए सरकारी भूमि से होकर रास्ता दिये जाने का विकल्प भी प्रस्तावित किया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग ही लघुतम मार्ग प्रतीत होता है।

9. प्रकरण में चारागाह भूमि से होकर भी रिकॉर्डेड रास्ता का अनुतोष चाहा गया है। सरकारी चारागाह भूमि से नवीन रास्ता हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के द्वारा निर्देश जारी किये हुए है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैः–

परिपत्र

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कुछ प्रकरणों में खातेदार की अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है और खातेदार राजकीय (चारागाह) में से ही होकर अपनी जोत तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज होने के कारण संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में रास्ते हेतु चाही जा रही है, उतनी ही भूमि स्वंय की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रिकॉर्ड दर्ज किया जाये। इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है की भूमि में राजकीय रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सके, प्रार्थी को निनिमय में चारागाह भूमि नहीं दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.11 10:47:08 IST
Reason: SelfAttested

10. इसके साथ ही सरकारी चारागाह भूमि से नवीन रास्ता हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज—6 / 2013 दिनांक 01.09.2014 के द्वारा मार्गदर्शन जारी किया गया है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज—6 / 2013 दिनांक 01.09.2014 का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैः—

> *उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से आप द्वारा मार्गदर्शन अपेक्षित किया कि राजकीय भूमि में से किस किस्म की भूमि में से रास्ता दिया जा सकता है? अर्थात् चारागाह भूमि में से भी रास्ता दिया जा सकता है।*
> *माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपालसिंह प्रकरण में पारित आदेश 28.01.2011 के अनुसरण में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 से चारागाह भूमि के निजी एवं व्यावसायिक हेतु आवंटन पर रोक कायम लेण्ड मानकर लगायी है। चारागाह भूमि में से रास्ते हेतु दिया जाना निजी एवं व्यावसायिक उपयोग श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। चारागाह भूमि सार्वजनिक भूमि है तथा रास्ता भी सार्वजनिक होगा।*
>
> *अतः निर्देशानुसार लेख है कि परिपत्र 14.06.2013 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। सूचनार्थ प्रेषित है।*

11. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं दिनांक 12.04.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों तथा उभय पक्षकारों के अभिभाषको की उपस्थिति में मौका निरीक्षण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की आराजी तक रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता से पहुॅच नही होने तथा आवेदित रास्ता लघुतम मार्ग होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—251—क काबिल—ऐ स्वीकार है। साथ ही राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के द्वारा चारागाह भूमि से रास्ता दिये जाने के प्रावधान बनाये गये है। अतः दिनांक 12.04.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 30 फुट चौडा गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं दिनांक 12.04.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों तथा उभय पक्षकारों के अभिभाषको की उपस्थिति में मौका निरी[illegible] के पश्चात प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.11 10:47:08 IST
Reason: SelfAttested

आराजी तक रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता से पहुॅच नही होने तथा आवेदित रास्ता लघुतम मार्ग होने के आधार पर चारागाह भूमि पर राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 12.04.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित 30 फुट चौडाई के हाल आराजी खसरा संख्या 491 में से होकर अप्रार्थी द्वारा दिये गये विकल्प पर प्रार्थी की सहमति के आधार पर वाकै ग्राम जोधावास की आराजी हाल खसरा संख्या 492 व 491, 493 की सीमा के सहारे अप्रार्थीगण की खातेदारी को छोड़ते हुए हाल खसरा संख्या 491, 493 में से होकर तथा हाल खसरा संख्या 494 में से होकर रास्ते में आयी भूमि की एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित करते हुये तथा चारागाह भूमि में से रास्ते के एवज में प्रार्थी की खातेदारी आराजी को चारागाह के पेटे समानुपातिक रकबे की आराजी चारागाह के खसरे के लगते हुए समर्पित कर नियमानुसार रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 12.04.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी—अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.11 10:47:08 IST
Reason: SelfAttested